न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 12/2019 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री केदार प्रसाद पुत्र श्री रामस्वरूप खण्डेलवाल
एफबीओ मैसर्सः– बालाबक्श रामस्वरूप, पंसारेट बाजार, दौसा।
2. श्री आलोक खण्डेलवाल
मैसर्सः– आलोक एण्ड कम्पनी, ए–6, सोमनाथ नगर, आगरा रोड, दौसा।
3. श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल
मैसर्सः– एस. के. मार्केटिंग, जी–21, ट्यूलिप एनक्लेव, ए–14, सेन्ट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर।
4. श्रीमति अन्नपूर्णा शर्मा पत्नि श्री प्रकाश शर्मा पार्टनर
M/S LONGI INDUSTRIES, G1-83, Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner.
5. श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
M/S LONGI INDUSTRIES, G1-83, Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner.

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण सं 1 लगायत 3 उपस्थित।
: श्री कुलभूषण व्यास प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 एवं 5 उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 3 .04.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06.02.2018 को दोपहर 01:30 बजे मैसर्सः– बालाबक्श रामस्वरूप, पंसारेट बाजार, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री केदार प्रसाद पुत्र श्री रामस्वरूप खण्डेलवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक रैक में 500 ग्राम वजन में 20 पॉली पैक मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 मूल पॉली पैक मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिसकी कीमत 280 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 मूल पाउच 500 ग्राम मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) को चार कागज के डिब्बों में रखकर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिब्बों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड़ एवं सीरियल नम्बर A.G.–1846 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री जयसिंह यादव एफएसओ मुख्यालय द्वारा दिनांक 07.02.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 07.02.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 08.02.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./161/एक्ट/2018/256 दिनांक 21.02.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) के लेबल पर "Best before 8 months" के स्थान पर "BEST BEFORE 8 MONTHS FROM PACKAGING" प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री केदार प्रसाद पुत्र श्री रामस्वरूप खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) उनके द्वारा मैसर्सः– श्री आलोक एण्ड कम्पनी से बिल द्वारा खरीदा जाना व्यक्त करते हुए निर्माता एवं डीलर को जिम्मेदार ठहराने का निवेदन किया गया। अभियुक्त सं0 2 मैसर्सः– श्री आलोक एण्ड कम्पनी, ए–6, सोमनाथ नगर, आगरा रोड, दौसा द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) उनके द्वारा मैसर्सः– एस. के. माकेटिंग, जी–21, ट्यूलिप एनक्लेव, ए–14, सेन्ट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर से बिल के द्वारा खरीदा जाना व्यक्त करते हुए निर्माता एवं डीलर को ही जिम्मेदार ठहराने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल मैसर्सः– एस. के. माकेटिंग, जी–21, ट्यूलिप एनक्लेव, ए–14, सेन्ट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) का निर्माता लौंगी इंडस्ट्रीज बीकानेर को बताया जाकर उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने के मिसब्राण्ड हेतु निर्माता फर्म को जिम्मेदार ठहराने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 एवं 5 की और से प्रतिनिधि श्री

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

कुलभूषण व्यास द्वारा उपस्थित होकर उक्त खाद्य पदार्थ का संशोधित लेबल प्रस्तुत किया गया एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) के पैकेट पर पूरी जानकारी के अभाव में **Best Before 8 Months From Packaging** इंग्लिश के कैपिटल लैटर्स में नहीं लिखा हुआ होना एवं इस भूल का पता चलते ही कम्पनी के सभी मसालों के पैकेट्स पर इसे इंग्लिश के कैपिटल लैटर्स पर लिखवा लिया जाना व्यक्त करते हुए उक्त भूल को क्षमा करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./161/एक्ट/2018/256 दिनांक 21.02.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (टाईगर एगमार्क) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 व 5 श्रीमति अन्नपूर्णा शर्मा पत्नि श्री प्रकाश शर्मा एवं श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा **M/S LONGI INDUSTRIES, G1-83, Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner** पर 5000/-(अक्षरे पांच हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 03.04.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 760-66 दिनांक:- 03.04.2019

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री केदार प्रसाद पुत्र श्री रामस्वरूप खण्डेलवाल
   एफबीओ मैसर्सः- बालाबक्श रामस्वरूप, पंसारेट बाजार, दौसा।
4. श्री आलोक खण्डेलवाल
   मैसर्सः- आलोक एण्ड कम्पनी, ए-6, सोमनाथ नगर, आगरा रोड, दौसा।
5. श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल
   मैसर्सः- एस. के. माकेर्टिंग, जी-21, ट्यूलिप एनक्लेव, ए-14, सेन्ट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर।
6. श्रीमति अन्नपूर्णा शर्मा पत्नि श्री प्रकाश शर्मा पार्टनर
   M/S LONGI INDUSTRIES, G1-83, Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner.
7. श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
   M/S LONGI INDUSTRIES, G1-83, Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner.

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official